

॥  
११/२५

पत्रावली पेश हुई। वादी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवजें लगाई जाने के बावजूद वादी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।

3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली